राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 168 / 2014 — दायर दिनांकः–12.06.2014

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. विक्रम सिंह पुत्र सुखवीर सिंह, जाति राजपूत
2. कोमल कंवर पुत्री सुखवीर सिंह, जाति राजपूत
3. कनुप्रिया पुत्री सुखवीर सिंह, जाति राजपूत

सर्व नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन कंवर पत्नि सुखवीर सिंह, सर्वनिवासीगण ग्राम कोटडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

––––वादीगण

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र सावत सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
2. महावीर सिंह पुत्र किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
3. जगवीर सिंह पुत्र किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
4. गुणराज कंवर पुत्री किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
5. सुखवीर सिंह पुत्र किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
6. मोहन कंवर पत्नि हिम्मत सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
7. धनवीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
8. कैलाश कंवर पत्नि गिरराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
9. खुश्बू कंवर पुत्री गिरराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
10. भंवर सिंह पुत्र गिरराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
11. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
12. अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, भीलवाड़ा, शाखा नोसल, जरिये शाखा प्रबंधक।

–––––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 24.11.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोटड़ी के खस[illegible]/1 रकबा 100 बीघा कृषि भूमि स्थित है जिसके एकीकरण खसरा [illegible] 301 मि0, 302/10, 302/2, 302/3, 302/4, 303/1, 303/2, 200/2, [illegible] 2, 635/809/3, 635/809/1, 4, 5, 6, 7, 635/660/1 तक है। [illegible] भूमि पैतृक कृषि भूमि है व स्व0 सावतसिंह वल्द रघुनाथसिंह राजपूत निवासी कोटड़ी की जागीर व खुद काश्त की थी। [illegible]वत सिंह वादीगण के पड़दादा थे। विवादित आराजी सांवत सिंह की जमीन खालसा हो जाने के पश्चात् सांवतसिंह खुद काश्त जमीन के खातेदार हो गये थे। सांवत सिंह के तीन पुत्र थे। मानसिंह, किशनसिंह व हिम्मतसिंह थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.20 11:38:32 IST
Reason: SelfAttested

जिनमें से मानसिंह व हिम्मतसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। पैतृक कृषि भूमि में सांवतसिंह की भूमि में मानसिंह का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 किशनसिंह का 1/3 व हिम्मतसिंह का 1/3 हिस्सा है। राजस्व रिकॉर्ड में पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 133 बीघा 18 बिस्वा में से 125/1 रकबा 100 बीघा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है। पैतृक कृषि भूमि में खसरा नम्बर 125/1 रकबा 100 बीघा के 1/2 हिस्से में किशन सिंह व उनके तीन लड़के महावीर सिंह, जगवीर सिंह व सुखवीर सिंह का हिस्सा निहित है यानि किशनसिंह के 1/2 हिस्से में स्वयं का 1/4 हिस्सा यानि 1/8 हिस्सा व तीनों लड़कों का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। पैतृक संपति होने के नाते सुखवीर सिंह के 1/4 हिस्से में उसके पुत्र पुत्रियां जो वाद में वादीगण है इनका प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है यानि विवादित आराजी 50 बीघा में वादीगण का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा निहित है। शेष खसरा नम्बर 125 की 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि मानसिंह के नाम संवत् 2054–2057 की जमाबंदी में दर्ज की गई है। खसरा नम्बर 125/1 रकबा 100 बीघा के 1/2 हिस्से में यानि 50 बीघा में वादीगण का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है। इस कारण वादीगण ने प्रत्येक ने 1/16 हिस्से के लिए घोषणा व भूमि विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। विवादित आराजी में किशन सिंह के 1/2 हिस्से में महावीरसिंह, जगवीरसिंह, सुखवीर सिंह है। सुखवीरसिंह के वारिसान विक्रमसिंह, कोमल कंवर व कनुप्रिया है। इस प्रकार किशनसिंह के हिस्से में किशनसिंह का स्वयं का हिस्सा व उसके तीनों लड़को का हिस्सा है व सुखवीर सिंह के हिस्से में उसके पुत्र व पुत्रियों का हिस्सा है जो वादीगण है। प्रतिवादी किशनसिंह ने वादीगण की माता सुमनकंवर को 15.11.2011 को उनके 1/2 हिस्से की भूमि को बेचने की धमकी दी। वादग्रस्त आराजी में किशनसिंह 1/2 हिस्से में उनके लड़के सुखवीर सिंह का 1/4 हिस्सा है व सुखवीरसिंह के 1/4 हिस्से में उसके पुत्र व पुत्रियों का हिस्सा है। वादीगण का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है इसलिए वादीगण ने अपने प्रत्येक ने 1/16 हिस्से के लिये घोषणा भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक–15.11.2011 को जिस रोज वादीगण की माता सुमन कंवर को प्रतिवादी संख्या 1 किशनसिंह ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 125/1 रकबा 100 बीघा का 1/2 हिस्सा बैचने की धमकी दी उस दिन पैदा हुआ व दिन प्रतिदिन हो रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 06 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम कोटडी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 215 में खसरा न0 125/1 रकबा 100 बीघा मोहन कंवर पत्नि हिम्मत सिंह व धनवीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह हि0 1/3 (प्रतिवादी संख्या 5 व 6) किशन सिंह पुत्र सांवत सिंह हि0 1/2 (प्रतिवादी संख्या 01) कैलाश कंवर पत्नि गिरिराज सिंह, खुशबु कंवर पुत्री गिरिराज सिंह , भंवरसिंह पुत्र गिरिराज सिंह हि0 1/6 (प्रतिवादी संख्या 7 से 9) कौम राजपूत सा0 देह खातेदार रहिन किशन सिंह का हि0 1/2 , मोहन कंवर व धनवीर सिंह का हि0 BRKGB शाखा नोसल के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रकरण में वकील वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई एवं वकील प्रतिवादी की मौखिक सुनी गई। तदनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को 1/20 (प्रत्येक को) हि0 का खातेदार क[illegible] किया [illegible] ही प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से, प्रतिवादी [illegible] 3 [illegible] 5 हिस्से प्रतिवादी संख्या 4 को 1/5 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 5 [illegible] 20 हिस्से का खातेदा[illegible]कार घोषित किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के उपरोक्त हिस्से खसरा [illegible] 100 बीघा के 1/2 हिस्से अनुसार तय किये गये। शेष 1/2 हिस्सा अन्य प्रतिवादि[illegible]वत् रहा।

प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रूपनगढ द्वारा कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई, जिस पर उभयपक्ष को सुना गया। वादी की ओर से प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। तदनुसार प्रकरण में निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिए जाते है एवं रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने की आदेश दिए जाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.20 11:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म
1	जगवीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/1	1.618	बंजर–2 (1.521) बारानी–2(0.0970)
2	महावीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/2	1.618	बंजर–2
3	गुणराजकंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/3	1.618	बंजर–2
4	किशनसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/4	1.618	बंजर–2
5	विक्रमसिंह(नाबा.) पुत्र सुखवीरसिंह संरक्षक माता सुमन कंवर जाति राजपूत हिस्सा 1/4 कोमलकंवर (नाबा.) पुत्री सुखवीरसिंह संरक्षक माता सुमन कंवर जाति राजपूत हिस्सा 1/4 सा.देह कनुप्रिया (नाबा.) पुत्री सुखवीरसिंह संरक्षक माता सुमन कंवर जाति राजपूत हिस्सा 1/4 सा.देह सुखवीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत हि. 1/4 सा. देह	511/125/5	1.618	बंजर–2 (1.2014) बारानी–3(0.3559) बंजर–1 (0.0607)
6	मोहन कंवर पत्नी हिम्मत सिंह हि 1/3, धनवीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह हि. 1/3, कैलाश कंवर पत्नी गिरराज सिंह हि. 1/9, खुशबू कंवर पुत्री गिरराज सिंह हि 1/9, भंवरसिंह पुत्र गिरराज सिंह हि. 1/9 सर्व जाति राजपूत सा. देह	511/125/6	8.09	बंजर–2 (7.5763) बारानी–3 (0.356) बारानी–2(0.0970) बंजर–1 (0.0607)

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री [illegible]

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.20 11:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 168/2014

1. विक्रम सिंह पुत्र सुखवीर सिंह, जाति राजपूत
2. कोमल कंवर पुत्री सुखवीर सिंह, जाति राजपूत
3. कनुप्रिया पुत्री सुखवीर सिंह, जाति राजपूत

सर्व नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन कंवर पत्नि सुखवीर सिंह, सर्वनिवासीगण ग्राम कोटड़ी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

-----वादीगण

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र सांवत सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
2. महावीर सिंह पुत्र किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
3. जगवीर सिंह पुत्र किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
4. गुणराज कंवर पुत्री किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
5. सुखवीर सिंह पुत्र किशन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
6. मोहन कंवर पत्नि हिम्मत सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
7. धनवीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
8. कैलाश कंवर पत्नि गिरराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
9. खुश्बू कंवर पुत्री गिरराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
10. भंवर सिंह पुत्र गिरराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ जिला अजमेर।
11. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर, राज0।
12. अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, भीलवाड़ा, शाखा नसल जरिये शाखा प्रबन्धक

-----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाकर रिकॉर्ड निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिए जाते हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.20 11:38:32 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म
1	जगवीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/1	1.618	बंजर–2 (1.521) बारानी–2(0.0970)
2	महावीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/2	1.618	बंजर–2
3	गुणराजकंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/3	1.618	बंजर–2
4	किशनसिंह पुत्र सावतसिंह जाति राजपूत सा. देह	511/125/4	1.618	बंजर–2
5	विक्रमसिंह(नाबा.) पुत्र सुखवीरसिंह संरक्षक माता सुमन कंवर जाति राजपूत हिस्सा 1/4 कोमलकंवर (नाबा.) पुत्री सुखवीरसिंह संरक्षक माता सुमन कंवर जाति राजपूत हिस्सा 1/4 सा.देह कनुप्रिया (नाबा.) पुत्री सुखवीरसिंह संरक्षक माता सुमन कंवर जाति राजपूत हिस्सा 1/4 सा.देह सुखवीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत हि. 1/4 सा. देह	511/125/5	1.618	बंजर–2 (1.2014) बारानी–3(0.3559) बंजर–1 (0.0607)
6	मोहन कंवर पत्नी हिम्मत सिंह हि 1/3, धनवीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह हि. 1/3, कैलाश कंवर पत्नी गिरराज सिंह हि. 1/9, खुशबू कंवर पुत्री गिरराज सिंह हि 1/9, भंवरसिंह पुत्र गिरराज सिंह हि. 1/9 सर्व जाति राजपूत सा. देह	511/125/6	8.09	बंजर–2 (7.5763) बारानी–3 (0.356) बारानी–2(0.0970) बंजर–1 (0.0607)

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख [illegible] को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.01.20 11:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)